राजस्थान वित्त विधेयक, 2013

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998, राजस्थान वित्त अधिनियम, 2008 और राजस्थान आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने और कतिपय अन्य उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :-

अध्याय 1प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम.- इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2013 है।

2. 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 3 के अधीन घोषणा.- राजस्थान अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अनुसरण में, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खण्ड 15 के उपबंध उक्त अधिनियम के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे।

अध्याय 2
राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 में संशोधन

3. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 3 का संशोधन.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 की उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "साठ लाख रूपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पचहत्तर लाख रूपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

अध्याय 3

राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 में संशोधन

4. 1996 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 की उप-धारा (1) के विद्यमान खण्ड (क) को उसके खण्ड (कक) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जायेगा, और इस प्रकार पुन: संख्यांकित खण्ड (कक) के पूर्व निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(क) "अपील प्राधिकारी" से राज्य सरकार द्वारा इस रूप में प्राधिकृत उप-आयुक्त से अनिम्न रैंक का कोई व्यक्तिअभिप्रेत है;"।

5. 1996 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 16 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 16 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"**16. विवरणी फाइल करना.-** (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत होटलवाला, ऐसी कालावधि के लिए, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, ऐसे समय के भीतर-भीतर, और ऐसे प्राधिकारी को, जो विहित किया जाये, विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) ऐसा कोई भी होटलवाला जिससे, विलास कर अधिकारी या इस निमित्त आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, किसी नोटिस द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाये, ऐसी कालावधि के लिए, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, और ऐसे समय के भीतर-भीतर, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाये, विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(3) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहां आयुक्त की यह राय हो कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विवरणियां प्रस्तुत करने की तारीख बढ़ा सकेगा या किसी होटल वाले या होटल वालों के किसी वर्ग को विवरणियों में से कोई विवरणी या समस्त विवरणियां फाइल करने की अपेक्षा से अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगा।"।

6. 1996 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 27 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 27 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"**27. अपील प्राधिकारी को अपील.-** विलास कर अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध अपील, अपील प्राधिकारी को होगी और राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) में और तदधीन बनाये गये नियमों में ऐसी अपील से संबंधित उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।"।

7. 1996 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 28 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 28 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"**28. कर बोर्ड को अपील.-** राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) के अधीन गठित कर बोर्ड को निम्नलिखित के विरुद्ध अपील होगी,-

(क) धारा 30 या धारा 31 के अधीन आयुक्त द्वारा पारित कोई आदेश;

(ख) उप-आयुक्त द्वारा इस अधिनियम के अधीन पारित कोई आदेश; और

(ग) अपील प्राधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश,

और राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) में और तदधीन बनाये गये नियमों में ऐसी अपील से सम्बन्धित उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।"।

8. 1996 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 29 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 29 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"**29. उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण.-** (1) धारा 28 के अधीन कर बोर्ड द्वारा या धारा 17 की उप-धारा (9) के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई होटलवाला ऐसे आदेश की तामील की तारीख से नब्बे दिवस के भीतर-भीतर, ऐसे

आदेश के पुनरीक्षण के लिए, उच्च न्यायालय में इस आधार पर आवेदन कर सकेगा कि इसमें विधि का कोई प्रश्न अन्तर्वलित है।

(2) आयुक्त, यदि वह धारा 28 के अधीन कर बोर्ड द्वारा या धारा 17 की उप-धारा (9) के अधीन पारित किसी भी आदेश से व्यथित हो तो वह ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिए इस आधार पर कि उसमें विधि का कोई प्रश्न अन्तर्वलित है, उच्च न्यायालय को आवेदन करने के लिए किसी अधिकारी को निदेश दे सकेगा; और ऐसा अधिकारी, पुनरीक्षित किये जाने के लिए ईप्सित आदेश के आयुक्त को लिखित में संसूचित किये जाने की तारीख से एक सौ अस्सी दिवस के भीतर-भीतर उच्च न्यायालय में आवेदन करेगा।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन पुनरीक्षण के लिए आवेदन में, पुनरीक्षित किये जाने के लिए ईप्सित आदेश में अन्तर्वलित विधि के प्रश्न का कथन होगा, और उच्च न्यायालय विधि के प्रश्न को किसी भी रूप में बना सकेगा या विधि के किसी भी अन्य प्रश्न को उठाने के लिये अनुज्ञात कर सकेगा।

(4) उच्च न्यायालय, पुनरीक्षण के पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात्, उसे कथित किये गये या उसके द्वारा निश्चित किये गये विधि के प्रश्न का विनिश्चय करेगा और तदुपरांत ऐसा आदेश पारित करेगा जो मामले को निपटाने के लिए आवश्यक हो।"।

अध्याय 4
राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में संशोधन

9. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (का अधिनियम सं. 14), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,-

(i) विद्यमान खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

(ii) "बैंककार" से ऐसा कोई संगम, कोई कम्पनी या कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत राज्यक्षेत्र के भीतर, उधार देने या विनिधान करने के प्रयोजनार्थ जनता से धनराशियों के निक्षेप, जो मांग पर या अन्यथा

प्रतिसंदेय हों, और चैक, ड्राफ्ट, आर्डर द्वारा या अन्यथा प्रत्याहरण स्वीकार करता है और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं -

(क) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) की धारा 5 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित कोई बैंककारी कम्पनी;

(ख) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) की धारा 56 के खण्ड (गगi) में यथा परिभाषित कोई सहकारी बैंक;

(ग) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 38) की धारा 2 के खण्ड (ट) में यथा परिभाषित इसके समनुषंगी बैंकों में से कोई भी बैंक और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) की धारा 3 और, यथास्थिति, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 40) के अधीन गठित तत्समान नये बैंकों में से कोई बैंक;";

(ii) विद्यमान खण्ड (xvi) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

(xvi) "छापित स्टाम्प" के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं,-

(क) समुचित अधिकारी द्वारा चिपकाये गये और छापित लेबल;

(ख) स्टाम्पित कागज पर समुद्भृत या उत्कीर्ण स्टाम्प;

(ग) फ्रेंकिंग मशीन द्वारा छपाई;

(घ) किसी भी अन्य पद्धति, जिसमें इलैक्ट्रोनिक पद्धति सम्मिलित है, से कागज पर छपाई या मुद्रण; और

(ङ) ऐसी अन्य छपाई जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे;";

(iii) विद्यमान खण्ड (xxxiii) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (xxxiv) के पूर्व निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(xxxiii-क) "प्रतिभूति" का वही अर्थ होगा, जो इसे प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 42) की धारा 2 के खण्ड (ज) में समनुदेशित किया गया है;"; और

(iv) विद्यमान खण्ड (xxxvi) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(xxxvi) "स्टाम्प" से इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य शुल्क के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी एजेन्सी या व्यक्ति द्वारा कोई चिह्न, मुहर, प्रमाणपत्र या पृष्ठांकन अभिप्रेत है और इसमें कोई आसंजक या छापित स्टाम्प सम्मिलित है;"।

10. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 35 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 35 में,-

(i) उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "(जो पचास रुपये से अनधिक और दस रुपये से अन्यून हो)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "(जो दो सौ रुपये से अनधिक और पचास रुपये से अन्यून हो)" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) उप-धारा (2) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "कलक्टर लिखत की" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "संक्षिप्ति और ऐसे" के पूर्व अभिव्यक्ति "सत्य प्रतिलिपि या" अन्त:स्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "और जब तक कि ऐसी" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "संक्षिप्ति और साक्ष्य" के पूर्व अभिव्यक्ति "सत्य प्रतिलिपि या" अन्त:स्थापित की जायेगी।

11. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 36 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 36 की विद्यमान उप-धारा (2) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (3) के पूर्व निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(2क) जब धारा 35 के अधीन कलक्टर के समक्ष लायी गयी कोई निष्पादित लिखत, उसकी राय में, इस प्रकार की है जो शुल्क से प्रभार्य है और उसके द्वारा अवधारित शुल्क, उस लिखत की बाबत पहले ही संदत्त किये गये शुल्क से अधिक है तो वह ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर-भीतर, जो उसके द्वारा अनुज्ञात किया जाये, शेष रकम के संदाय की अपेक्षा करेगा और ऐसी रकम के संदाय पर कलक्टर, पृष्ठांकन द्वारा यह प्रमाणित करेगा कि उस पर प्रभार्य पूर्ण शुल्क (रकम का उल्लेख करते हुए) संदत्त कर दिया गया है।"।

12. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 56 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 56 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"56. शुल्कों और शास्तियों की वसूली.- (1) इस अध्याय के अधीन या अध्याय 3 के अधीन संदत्त किये जाने के लिए अपेक्षित सभी शुल्क, शास्तियां और अन्य राशियां कलक्टर द्वारा उस व्यक्ति की, जिससे वे देय हैं, जंगम या स्थावर संपत्ति के करस्थम् और विक्रय द्वारा या भू-राजस्व की बकाया की वसूली के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य प्रक्रिया द्वारा वसूल की जा सकेंगी। (2) इस अध्याय के अधीन या अध्याय 3 के अधीन संदत्त किये जाने के लिए अपेक्षित समस्त शुल्क, शास्तियां और अन्य राशियां उस संपत्ति पर प्रभार होंगी, जो उस लिखत की विषयवस्तु है। (3) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट प्रभार की प्रविष्टि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) में विनिर्दिष्ट अनुक्रमणिकाओं में की जायेगी और ऐसी प्रविष्टि उक्त अधिनियम के अधीन नोटिस समझी जायेगी। (4) जहां लिखत की विषयवस्तु-

(i) कोई राजस्व भूमि हो, वहां उप-धारा (3) के अधीन अनुक्रमणिकाओं में प्रविष्ट प्रभार की एक प्रति, संबंधित तहसीलदार को भेजी जायेगी जो उस सूचना को भू-अभिलेख में प्रविष्ट करेगा; और

(ii) किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित, या उसके व्ययनाधीन रखी गयी कोई भूमि हो या कोई भवन या उसका कोई भाग स्थानीय प्राधिकारी के क्षेत्र के भीतर स्थित हो, वहां उप-धारा (3) के अधीन अनुक्रमणिकाओं में प्रविष्ट प्रभार की एक प्रति संबंधित स्थानीय प्राधिकारी को भेजी जायेगी जो ऐसी भूमि या, यथास्थिति, भवन के संबंध में संधारित अभिलेखों में उस सूचना को प्रविष्ट करेगा।"।

13. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 63-क का अन्त:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 63 के पश्चात् और विद्यमान धारा 64 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

"63-क. स्टाम्पों का अविधिमान्य होना और व्यावृति.- धारा 58, 61, 62 और 63 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,-

(क) ऐसा कोई भी स्टाम्प, जिसे राजस्थान वित्त अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम सं. ....) के प्रारंभ की तारीख (जिसे इसमें आगे "उक्त तारीख" कहा गया है) को या उसके पश्चात् क्रय किया गया है, उसके क्रय की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर-भीतर उपयोग में लिया जायेगा या मोक के दावे के लिए प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसा कोई भी स्टाम्प, जो क्रय किये जाने की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर-भीतर उपयोग में नहीं लिया गया हो या जिसके संबंध में मोक का कोई दावा नहीं किया गया हो, अविधिमान्य हो जायेगा;

(ख) ऐसा कोई भी स्टाम्प, जो उक्त तारीख से पूर्व क्रय किया गया हो किन्तु उपयोग में नहीं लिया गया हो या जिसके संबंध में किसी मोक का दावा नहीं किया गया हो, उक्त तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर-भीतर, इस अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन उपयोग में लिया जा सकेगा या मोक के दावे के लिए प्रस्तुत किया जा सकेगा। ऐसा स्टाम्प, जिसे छह मास की पूर्वोक्त कालावधि के भीतर-भीतर उपयोग में नहीं लिया या प्रस्तुत नहीं किया गया है, अविधिमान्य हो जायेगा।"।

14. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 85 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 85 में,-

(i) उप-धारा (1) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "खण्ड (ik) और (xxxvi)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "खण्ड (ik) और (xxxvii)" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "अभिलेख, कागज, दस्तावेज या तत्संबंधी कार्यवाहियां हैं, जिसके निरीक्षण का" के स्थान पर अभिव्यक्ति "इलैक्ट्रोनिक अभिलेखों सहित अभिलेख, कागज, दस्तावेज या कार्यवाहियां हैं, जिनके निरीक्षण का" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ग) विद्यमान अभिव्यक्ति "उप-खण्ड अधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तहसीलदार" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(घ) विद्यमान अभिव्यक्ति "कागजों, दस्तावेजों और कार्यवाहियों का निरीक्षण" के स्थान पर अभिव्यक्ति "इलैक्ट्रोनिक अभिलेखों सहित अभिलेखों, कागजों, दस्तावेजों और कार्यवाहियों का निरीक्षण" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अभिलेखों, कागजों, दस्तावेजों या कार्यवाहियों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "इलैक्ट्रोनिक अभिलेखों सहित अभिलेखों, कागजों, दस्तावेजों और कार्यवाहियों" प्रतिस्थापित की जायेगी।

अध्याय 5
राजस्थान वित्त अधिनियम, 2008 में संशोधन

15. 2008 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 16 का संशोधन.- राजस्थान वित्त अधिनियम, 2008, (2008 का अधिनियम सं. 11) की धारा 16 में विद्यमान अभिव्यक्ति ''पांच सौ रुपये'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''पांच हजार रुपये'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

अध्याय 6

राजस्थान आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1956 में संशोधन

16. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 40 की धारा 3 का संशोधन.- राजस्थान आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 40) की धारा 3 की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''दो सौ करोड़ रुपये'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''पांच सौ करोड़ रुपये'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003

अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) उपबंधित करती है कि कोई व्यवहारी, जिसका वार्षिक पण्यावर्त किसी वर्ष में साठ लाख रुपये से अधिक नहीं है, अपने पण्यावर्त पर कर के संदाय का विकल्प दे सकेगा। इस सुविधा को ऐसे व्यवहारी तक बढ़ाये जाने की दृष्टि से, जिसका वार्षिक पण्यावर्त पचहत्तर लाख रुपये तक है, इस धारा को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है ताकि साठ लाख रुपये की पूर्वोक्त रकम को पचहत्तर लाख रुपये द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सके।

राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990

राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 में विवरणियों, अपील और पुनरीक्षण से संबंधित उपबंधों को राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के उपबंधों के समान करने के लिए इस अधिनियम की धारा 2, 16, 27, 28 और 29 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998

अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ii) को यह स्पष्ट करने के लिए संशोधित किया जाना प्रस्तावित है कि बैंककार में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में यथापरिभाषित कोई बैंककारी कंपनी, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में यथापरिभाषित कोई सहकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 में यथापरिभाषित इसके समनुषंगी बैंकों और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970, और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 के अधीन गठित तत्समान नये बैंकों में से कोई बैंक सम्मिलित है।

छापित स्टाम्प की परिभाषा में इलैक्ट्रोनिक पद्धति या किसी भी अन्य पद्धति द्वारा कागज पर छपाई या मुद्रण को सम्मिलित करने और राज्य सरकार को, उक्त परिभाषा के प्रयोजन के लिए किन्हीं भी छपाइयों को विनिर्दिष्ट करने के लिए, सशक्त करने के लिए अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (xvi) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रतिभूति को परिभाषित करने के लिए अधिनियम की धारा 2 में एक नया खण्ड (xxxiii-क) अन्त:स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (xxxvi) के अधीन किसी एजेन्सी या व्यक्ति को प्राधिकृत करने हेतु महानिरीक्षक, स्टाम्प के स्थान पर राज्य सरकार को सशक्त करने और स्टाम्प की परिभाषा में 'प्रमाणपत्र' अन्त:स्थापित करने के लिए उक्त खण्ड को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

न्यायनिर्णयन की फीस को बढ़ाकर न्यूनतम दस रुपये से न्यूनतम पचास रुपये करने और अधिकतम पचास रुपये से अधिकतम दो सौ रुपये करने के लिए, तथा आवेदक से न्यायनिर्णयन के लिए प्रस्तुत लिखत की संक्षिप्ति के विकल्प के रूप में सत्य प्रतिलिपि की अपेक्षा करने के लिए, कलक्टर को सशक्त करने हेतु, अधिनियम की धारा 35 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

जहां किसी निष्पादित लिखत पर धारा 35 के अधीन न्यायनिर्णीत स्टाम्प शुल्क, ऐसी लिखत पर पहले से संदत्त किये गये स्टाम्प शुल्क से अधिक हो, वहां संदेय स्टाम्प शुल्क की शेष रकम के संदाय की अपेक्षा करने के लिए कलक्टर को सशक्त करने के लिए अधिनियम की धारा 36 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

अधिनियम की धारा 56 को यह उपबन्धित करने के लिए संशोधित किया जाना प्रस्तावित है कि इस अधिनियम के अधीन संदत्त किये जाने के लिए अपेक्षित शुल्क, शास्तियां और अन्य राशियां उस सम्पत्ति पर प्रभार होंगी जो उस लिखत की विषयवस्तु है और ऐसे प्रभार की प्रविष्टियां, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 में विनिर्दिष्ट अनुक्रमणिकाओं में और साथ ही, राजस्व भूमि के मामले में भू-अभिलेखों में, और स्थानीय प्राधिकारियों के क्षेत्रों में स्थित भूमियों और भवनों के मामले में, उनके यहां संधारित भूमि और भवनों के अभिलेखों में, करना आज्ञापक है।

स्टाम्पों का दुरुपयोग रोकने की दृष्टि से, स्टाम्पों की विधिमान्यता की कालावधि, उनके क्रय की तारीख से या इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से छह मास तक नियत करने के लिए और यह उपबन्धित करने के लिए कि, यदि कोई स्टाम्प इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उसके क्रय की तारीख से या इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर-भीतर उपयोग में नहीं लिया गया है और न ही उसके संबंध में मोक का कोई दावा किया गया है तो ऐसा स्टाम्प, उक्त छह मास की कालावधि की समाप्ति पर अविधिमान्य हो जायेगा, अधिनियम में एक नयी धारा 63-क अन्त:स्थापित की जानी प्रस्तावित है।

इस अधिनियम की धारा 85 उपबन्धित करती है कि कलक्टर उप-खण्ड अधिकारी से अनिम्न रैंक के किसी अधिकारी को स्टाम्प शुल्क के अपवंचन या परिवर्जन के मामलों का पता लगाने के प्रयोजन के लिए लोक कार्यालयों इत्यादि में निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। अब, यह प्रस्तावित है कि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए, तहसीलदार से अनिम्न रैंक के किसी अधिकारी को प्राधिकृत करने के लिए कलक्टर को सशक्त किया जाये। यह भी उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है कि इस धारा में प्रयुक्त पद 'अभिलेखों' में इलैक्ट्रोनिक अभिलेखों को भी सम्मिलित किया जाएगा। धारा 2 के खण्ड (xxxvii) के संदर्भ को ठीक किया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार, धारा 85 को समुचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान वित्त अधिनियम, 2008

राज्य के विभिन्न भागों में, खनन क्षेत्रों में पर्यावरणीय और स्वास्थ्य परियोजनाएं क्रियान्वित करने की दृष्टि से, राजस्थान वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा पर्यावरण और स्वास्थ्य उपकर उद्गृहीत किया गया था। धारा 16 के वर्तमान उपबंधों में, प्रेषित खनिज के प्रत्येक टन के लिए खनिज अधिकारों पर पर्यावरण और स्वास्थ्य उपकर की ऊपरी सीमा पांच सौ रुपये विहित है। इससे राज्य सरकार पर, प्रभावित जनसंख्या की बाबत स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराने या प्रदूषण कम करने के बढ़े हुए खर्चों के अनुपात में उपकर प्रभारित करने के लिए, निर्बंधन अधिरोपित है। इस ऊपरी सीमा के कारण राज्य सरकार, किसी भी खनिज पर पर्यावरण और स्वास्थ्य उपकर प्रति टन पांच सौ रुपये से अधिक प्रभारित नहीं कर सकती और उसे विभिन्न पर्यावरणीय और स्वास्थ्य

परियोजनाएं क्रियान्वित करने में कठिनाई होती है। इसलिए, धारा 16 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है ताकि खनिज अधिकारों पर पर्यावरण और स्वास्थ्य उपकर की ऊपरी सीमा को, प्रेषित खनिज के प्रत्येक टन के लिए, पांच सौ रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये किया जा सके।

राजस्थान आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1956

राजस्थान आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1956 में राज्यपाल महोदय को, उन अपूर्वदृष्ट व्ययों को पूरा करने के लिए दो सौ करोड़ रुपये की राशि सौंपने का प्रावधान है जिनकी बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वर्ष 2008 में किये गये गत पुनरीक्षण के पश्चात् बजट के आकार में लगभग दो गुना वृद्धि हुई है। इसी तरह अपूर्वदृष्ट आकस्मिक मांग में बढ़ोतरी भी संभावित है। अत: राजस्थान आकस्मिकता निधि में अग्रदाय की रकम को दो सौ करोड़ रुपये से बढ़ाकर पाँच सौ करोड़ रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये ईप्सित है। अत: विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,प्रभारी
मंत्री।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल महोदया की सिफारिश

[सं.प.12(11)वित्त/कर/2013 दिनांक 06.03.2013
प्रेषक: श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री, प्रेषिती: सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर]

राजस्थान की राज्यपाल महोदया ने राजस्थान वित्त विधेयक, 2013 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित और प्रचलित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश की है।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 16 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके द्वारा राज्य की संचित निधि में से तीन सौ करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम राजस्थान राज्य की आकस्मिकता निधि में संदत्त किये जाने का प्रावधान किया गया है।

यह अनावर्ती प्रकार का व्यय है।

अशोक गहलोत,प्रभारी
मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 5, जो राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 की धारा 16 को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है, यदि अधिनियमित किया जाता है तो, राज्य सरकार को, वह कालावधि जिसके लिए, और वह प्ररूप और रीति जिसमें, और वह समय जिसके भीतर-भीतर, और वह प्राधिकारी विहित करने के लिए, जिसको इस अधिनियम के अधीन विवरणियां फाइल की जायेंगी, सशक्त करेगा।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) से लिये गये उद्धरण

XX **XX** **XX** **XX**

3. कर का भार.- (1) XX XX XX

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, उप-धारा (1) के खण्ड (क) या (ख) में प्रगणित व्यवहारी या वह व्यवहारी या व्यवहारियों का वर्ग जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, से भिन्न कोई व्यवहारी, जो माल का क्रय राज्य के किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी से करता है और ऐसे माल का विक्रय राज्य के भीतर करता है, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट माल के पण्यावर्त को अपवर्जित करते हुए अपने पण्यावर्त पर, धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन यथा-अधिसूचित दर से कर के संदाय का विकल्प इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए दे सकेगा कि ऐसा वार्षिक पण्यावर्त किसी वर्ष में साठ लाख रूपये से अधिक न हो।

(3) से (6) XX XX XX

XX **XX** **XX** **XX**

राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 (1996 का अधिनियम सं. 9) से लिये गये उद्धरण

XX **XX** **XX** **XX**

2. परिभाषाएं.- (1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) **"कारबार"** के अन्तर्गत धनीय प्रतिफल के बदले निवास स्थान या भोजों, समारोहों या उत्सवों को आयोजित करने के प्रयोजन के लिए कोई निवास स्थान या कोई भी स्थान उपलब्ध कराने के क्रियाकलाप और ऐसे क्रियाकलापों के संबंध में या उससे आनुषंगिक कोई अन्य सेवा है, चाहे ऐसे क्रियाकलाप अभिलाभ या लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन से किये गये हों या नहीं और चाहे ऐसे क्रियाकलापों से कोई भी अभिलाभ या लाभ उद्भूत होता हो या नहीं;

(ख) से (फ) XX XX XX

(2) XX XX XX

XX XX XX XX

16. विवरणियां.- (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत होटलवाला ऐसी विवरणियां ऐसी कालावधियों के लिए, ऐसी तारीखों तक, और ऐसे प्राधिकारी को देगा, जो विहित किया जाये।

XX XX XX XX

27. प्रथम अपील.- विलास-कर अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध अपील विक्रय-कर अधिनियम के अधीन नियुक्त उप-आयुक्त (अपील) को हो सकेगी और विक्रय-कर अधिनियम में और उसके अधीन बनाये गये नियमों में ऐसी अपील से संबंधित समस्त उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

28. द्वितीय अपील.- इस अधिनियम की धारा 27 के अधीन उप-आयुक्त (अपील) के द्वारा पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील, विक्रय-कर अधिनियम के अधीन गठित कर बोर्ड को की जा सकेगी और विक्रय-कर अधिनियम के और उसके अधीन बनाये गये नियमों के ऐसी अपील से संबंधित समस्त उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

29. विशेष मामलों में राजस्थान कराधान अधिकरण को पुनरीक्षण.- विलास कर अधिकारी या धारा 28 के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, इस आधार पर कि मामले में विधि का कोई प्रश्न अन्तर्वलित है, ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिए राजस्थान कराधान अधिकरण अधिनियम, 1995 (1995 का राजस्थान अधिनियम सं. 19) की धारा 3 के अधीन गठित राजस्थान कराधान अधिकरण को आवेदन कर सकेगा और विक्रय कर अधिनियम की धारा 86 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे पुनरीक्षण पर लागू होंगे।

XX XX XX XX

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरूद्ध न हो,-

(i) से (iक) XX XX XX

(ii) "बैंककार" से ऐसा कोई संगम, कोई कम्पनी या कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत राज्यक्षेत्र के भीतर, उधार देने या विनिधान करने के प्रयोजनार्थ जनता से धनराशियों के निक्षेप, जो मांग पर या अन्यथा प्रतिसंदेय हों, और चैक, ड्राफ्ट, आर्डर द्वारा या अन्यथा प्रत्याहरण स्वीकार करता है;

(iii) से (xv) XX XX XX

(xvi) "छापित स्टाम्प" के अन्तर्गत निम्नलिखित है,-

(क) समुचित अधिकारी द्वारा चिपकाये गये और छापित लेबल, और

(ख) स्टाम्पित कागज पर समुद्भृत या उत्कीर्ण स्टाम्प;

(xvii) से (xxxv) XX XX XX

(xxxvi) "स्टाम्प" से इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य शुल्क के प्रयोजनों के लिए महानिरीक्षक, स्टाम्प द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी एजेन्सी या व्यक्ति द्वारा कोई चिह्न, मुहर या पृष्ठांकन है और इसमें आसंजक या छापित स्टाम्प भी सम्मिलित है;

XX XX XX XX

35. समुचित स्टाम्प के बारे में न्यायनिर्णयन.- (1) जब कोई लिखत, चाहे वह निष्पादित हो या न हो और चाहे पहले ही स्टाम्पित हो या न हो, कलक्टर के पास लायी जाती है और उसे लाने वाला व्यक्ति शुल्क के बारे में, यदि कोई हो, जिससे वह प्रभार्य है, उस अधिकारी को राय के लिए आवेदन करता है और ऐसी रकम को (जो पचास रुपये से अनधिक और दस रुपये से अन्यून हो) फीस, जैसा कलक्टर प्रत्येक मामले में निर्दिष्ट करे, दे देता है, तब कलक्टर उस शुल्क को, यदि कोई हो, अवधारित करेगा, जिससे उसके निर्णय में वह लिखत प्रभार्य है।

(2) इस प्रयोजन के लिए कलक्टर लिखत की संक्षिप्तिऔर ऐसे शपथपत्र या अन्य साक्ष्य के दिये जाने की अपेक्षा कर सकेगा जो वह यह साबित करने के लिए आवश्यक

समझे कि लिखत पर प्रभारित होने वाले किसी शुल्क पर या उस पर प्रभार्य शुल्क की रकम पर प्रभाव डालने वाले सभी तथ्य और परिस्थितियां, उसमें पूर्ण रूप से और सत्यतापूर्वक उपवर्णित हैं और जब तक कि ऐसी संक्षिप्ति और साक्ष्य तदनुसार प्रस्तुत न कर दिये जायें वह किसी ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करने से इंकार कर सकेगा:

परन्तु,-

(क) इस धारा के अनुसरण में दिया गया कोई भी साक्ष्य, ऐसी जांच के सिवाय जो ऐसे शुल्क के बारे में हो जिससे वह लिखत, जो उससे संबंधित है, प्रभार्य है, किसी सिविल कार्यवाही में किसी व्यक्ति के विरूद्ध उपयोग में नहीं लाया जायेगा; और

(ख) प्रत्येक व्यक्ति, जिसके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य दिया जाता है, ऐसा पूरा शुल्क दे देने पर, जिससे वह लिखत जो उससे संबंधित है, प्रभार्य है, किसी भी ऐसी शास्ति से अवमुक्त कर दिया जायेगा जो इस अधिनियम के अधीन उसमें ऐसी लिखत में उपर्युक्त किन्हीं भी तथ्यों या परिस्थितियों को सत्यतापूर्वक कथित न करने के कारण उपगत कर ली हो।

(3) जहां कलक्टर के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उप-धारा (1) के अधीन शुल्क अवधारित करने के लिए उसके समक्ष लायी गयी लिखत में संपत्ति का बाजार मूल्य सही प्रकार से उपवर्णित नहीं किया गया है, वह ऐसी जांच के पश्चात् जो वह उचित समझे और लिखत लाने वाले व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, शुल्क के प्रयोजन के लिए ऐसी संपत्ति का बाजार मूल्य अवधारित कर सकेगा।

36. कलक्टर द्वारा प्रमाणपत्र.- (1) जब धारा 35 के अधीन कलक्टर के समक्ष लायी गयी कोई लिखत उसकी राय में, इस प्रकार की है जो शुल्क से प्रभार्य है, और-

(क) कलक्टर यह अवधारित करता है कि वह पहले से ही पूर्णत: स्टाम्पित है, या

(ख) धारा 35 के अधीन कलक्टर द्वारा अवधारित किये गये शुल्क या लिखत की बाबत पहले ही संदत्त किये गये शुल्क सहित ऐसी राशि, जो इस प्रकार अवधारित किये गये शुल्क के बराबर है, संदत्त की गयी है, तब कलक्टर ऐसी लिखत पर पृष्ठांकन द्वारा यह प्रमाणित करेगा कि उस पर प्रभार्य पूर्ण शुल्क (जिसकी रकम कथित की जायेगी) संदत्त कर दिया गया है।

(2) जब उसकी राय में ऐसी लिखत शुल्क से प्रभार्य नहीं है, तब कलक्टर उपयुक्त रीति से यह प्रमाणित करेगा कि ऐसी लिखत इस प्रकार से प्रभार्य नहीं है।

(3) किसी लिखत के बारे में, जिस पर इस धारा के अधीन कोई पृष्ठांकन किया गया है यह समझा जायेगा कि वह सम्यक् रूप से स्टाम्पित है या, यथास्थिति, शुल्क से प्रभार्य नहीं है, और यदि वह शुल्क से प्रभार्य है तो वह साक्ष्य में या अन्यथा ऐसे लिये जाने योग्य होगी और उसके अनुसार ऐसी कार्यवाही की जा सकेगी और वह ऐसे रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी मानो वह आरंभ में ही सम्यक् रूप से स्टाम्पित थी:

परन्तु इस धारा की कोई बात कलक्टर को किसी ऐसी लिखत, जो दस पैसे से अनधिक शुल्क से प्रभार्य है या किसी ऐसे विनिमय-पत्र या वचन-पत्र पर जो सम्यक् रूप से स्टाम्पित न किये गये कागज पर लिखे जाने या निष्पादन के पश्चात् उसके समक्ष लाया जाता है, पृष्ठांकन करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी:

परन्तु यह और कि,-

(क) किसी ऐसी लिखत पर, जो राज्य में निष्पादित की गयी हो या प्रथम बार निष्पादित की गयी हो और जो उसके निष्पादन या, यथास्थिति, प्रथम बार निष्पादन के एक मास के भीतर कलक्टर के समक्ष लायी गयी हो; या

(ख) किसी ऐसी लिखत पर, जो राज्य के बाहर निष्पादित की गयी हो या प्रथम बार निष्पादित की गयी हो और राज्य में प्रथम बार प्राप्त होने के पश्चात् तीन मास के भीतर कलक्टर के समक्ष लायी गयी हो;

उसके निष्पादन के समय लागू शुल्क से प्रभार्य होगी और जहां कोई लिखत ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पश्चात् कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, ऐसी लिखत पर ऐसा शुल्क प्रभार्य होगा, जो कलक्टर के समक्ष उसे प्रस्तुत करते समय लागू हो और जिसकी संगणना, उसे प्रस्तुत करने की तारीख को विद्यमान बाजार-मूल्य, जहां कहीं भी लागू हो, के आधार पर की जायेगी और वह तदनुसार प्रमाणित करेगा।

XX XX XX XX

56. शुल्कों और शास्तियों की वसूली.- इस अध्याय के अधीन संदत्त किये जाने के लिए अपेक्षित सभी शुल्क, शास्तियां और अन्य राशियां कलक्टर द्वारा उस व्यक्ति की, जिसके द्वारा वे देय हैं, जंगम या स्थावर संपत्ति के करस्थम् और विक्रय द्वारा या भू-

राजस्व की बकाया की वसूली के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य प्रक्रिया द्वारा वसूल की जा सकेगी।

XX XX XX XX

85. पुस्तकें, आदि निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी.- (1) प्रत्येक लोक अधिकारी, या धारा 2 के खण्ड (ik) और (xxxvi) में निर्दिष्ट संगम या स्टॉक एक्सचेंज जिसकी अभिरक्षा में कोई रजिस्टर, पुस्तक, अभिलेख, कागज, दस्तावेज या तत्संबंधी कार्यवाहियां हैं, जिसके निरीक्षण का यह परिणाम हो सकता है कि कोई शुल्क अभिप्राप्त हो या किसी शुल्क के संबंध में कोई कपट या लोप साबित या प्रकट हो जाये, किसी ऐसे अधिकारी को जिसका कर्तव्य यह देखना है कि समुचित शुल्क संदत्त कर दिया गया है या कलक्टर द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत उप-खण्ड अधिकारी से अनिम्न रैंक के किसी अधिकारी को ऐसे प्रयोजन के लिए किसी फीस या प्रभार के बिना उन रजिस्टरों, पुस्तकों, कागजों, दस्तावेजों और कार्यवाहियों का निरीक्षण सभी सुसंगत समयों पर करने देगा और टिप्पण और उद्धरण, जो वह आवश्यक समझे, लेने देगा।

(2) ऐसा प्रत्येक लोक अधिकारी मांग किये जाने पर कलक्टर को या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसे रजिस्टरों, पुस्तकों, अभिलेखों, कागजों, दस्तावेजों या कार्यवाहियों की मूल या अधिप्रमाणित प्रति भी उपलब्ध करायेगा।

XX XX XX XX

राजस्थान वित्त अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम सं. 11) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX

16. खनिज अधिकारों पर उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण.- संसद द्वारा, विधि द्वारा, खनिज विकास के संबंध में अधिरोपित किन्हीं निर्बंधनों के अधीन रहते हुए ऐसे खनिजों के संबंध में, और प्रेषित खनिज के प्रत्येक टन पर पांच सौ रूपये से अनधिक ऐसी दरों पर, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, विहित रीति से खनिज संबंधी अधिकारों पर पर्यावरण और स्वास्थ्य उपकर उद्गृहीत और संगृहीत किया जायेगा।

XX XX XX XX

राजस्थान आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1956(1956 का अधिनियम सं. 40) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX

3. राज्य आकस्मिकता निधि की स्थापना, उसकी अभिरक्षा और उसमें से रकमों का निकाला जाना.- (1) राज्य के लिए नियत दिन से अग्रदाय के रूप में एक आकस्मिकता निधि की स्थापना की जायेगी, जिसका नाम राजस्थान राज्य की आकस्मिकता निधि होगा और जिसमें राज्य की संचित निधि में से दो सौ करोड़ रुपये दिया जायेगा।(2) XX XX XX XX

XX XX XX XX